

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।

13.10.2022

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना-पत्र पेश किया गया, सुना। अभियुक्त को चालान में वर्णित धाराओं से दण्डित किया गया तथा उनके द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

रिंकी साहनी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।